संघीय शासन की संरचना
(Structure of Federal Government)

विश्व में विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं तथा भौगोलिक रुप में शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकारों को **दो भागों में विभाजित किया जा सकता है** -

1. एकात्मक शासन। (Unitary Government)
2. संघात्मक शासन। (Federal Government)

1. एकात्मक शासन (Unitary Government)

शासन प्रणाली सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। इसलिए जिन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव है तथा भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, उनमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केवल एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। कानून निर्माण एवं नीति निर्धारण केवल केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे-ग्रेट ब्रिटेन। इन व्यवस्थाओं में राज्य सरकारें एक नगर निगम की तरह होती हैं और उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते। केवल ऐसे अधिकार व शक्तियां होती हैं, जिसे केंद्रीय सरकार, स्थानीय शासन को सुचारु रुप से चलाए जाने हेतु प्रदान करती हैं।

2. संघात्मक शासन (Federal Government)

भौगोलिक रुप में विशाल देशों में शासन का संचालन एक केंद्र से संभव नहीं है। विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी समाज में शासन के संचालन में सभी समूहों के अधिकारों की मान्यता एवं रक्षा के लिए संघात्मक शासन बेहतर है। इस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन (Division of Powers) है। इसमें संघ एवं राज्य एक-दूसरे से स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं तथा इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें एक-दूसरे से पृथक् एवं स्वायत्त रुप में काम करती हैं। दोनों सरकारें अपनी शक्तियां सर्वोच्च संविधान से प्राप्त करती हैं और दोनों सरकारों के बीच विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। इस व्यवस्था में एक संविधान के माध्यम से विधायी व कार्यकारी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य दो स्तर पर विभाजित किया जाता है। संघात्मक सरकारों में केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। संघीय शासन के द्वारा केंद्रीयकरण सुनिश्चित किया जाता है। जबकि विभिन्न राज्यों के निर्माण के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इन व्यवस्थाओं में राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से वे एक सम्मिलित संघ में भागीदार होना चाहते हैं।

संघवाद के प्रकार

संघ के निर्माण तथा शक्तियों के विभाजन के स्तर पर संघवाद को **दो प्रकार** में विभाजित किया गया है -

1. अमेरिकी प्रतिरुप (American Model)

संघ शब्द का शाब्दिक अभिप्राय, समझौता है। अमेरिका ने स्वतंत्र राज्यों में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय शासन का निर्माण किया तथा संघीय शासन को राज्यों के द्वारा शक्तियां प्रदान की गईं। अमेरिकी संघ, राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते के तहत् संघ का निर्माण किया जाता है। इस प्रतिरुप में राज्य अपने पास अधिक शक्तियां व अधिकार रखते हैं। संघ को सुरक्षा तथा संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसीलिए अमेरिकी संघ को 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली है। अमेरिकी संघीय प्रणाली की **विशेषताएं निम्नलिखित हैं** -

- प्रत्येक राज्यों का अपना संविधान है।
- प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता के द्वारा होता है।
- शक्ति के विभाजन में संघीय संविधान में केवल संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 'अवशिष्ट शक्तियां' राज्यों को प्राप्त हैं।

- अमेरिका में केवल दो प्रकार की सेवाएं हैं - संघ एवं राज्य की सेवा।
- अमेरिका में संघ एवं राज्यों के बीच नागरिकता का भी विभाजन किया गया है। इसलिए संघ एवं राज्यों की नागरिकता पृथक् है।
- अमेरिका में राज्यों के नाम भू-भाग क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है।
- राज्यों को संघ से पृथक् (अलग) होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अमेरिकी संघ के लिए यह कहा जाता है कि यह 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।
- अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच भी समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसलिए अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

2. कनाडाई प्रतिरुप (Canadian Model)

कनाडा में संघीय शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय शासन के द्वारा विभिन्न इकाईयों का निर्माण किया गया। इसलिए कनाडाई संविधान में 'यूनियन' (Union) शब्द का प्रयोग किया गया है। कनाडा में यूनियन एवं राज्यों का संविधान एक है। यूनियन के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति होती है। अवशिष्ट शक्तियां यूनियन सरकार में निहित होती हैं। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर यूनियन सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकती हैं। कनाडा में संघीय (Federal) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके **निम्नलिखित कारण हैं** -

- कनाडा का संघ (Union) राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
- कनाडाई संविधान निर्माता संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे।

भारत में संघ का स्वरुप

भारतीय समाज, विश्व का सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाज है, जहां अनेक जाति, धर्म एवं भाषा के मानने वाले लोगों का निवास है। इस सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए संघीय शासन अपनाया गया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक स्वायत्तता को बनाए रखना तथा प्रशासनिक एकता का निर्माण किया जा सके। भारतीय संघ का स्वरुप कनाडा की संघीय व्यवस्था से मिलता-जुलता है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी सम्मिलन तथा समझौते का परिणाम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद-1 में यह उल्लिखित है कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक यूनियन होगा। संविधान में संघ सरकार अत्यधिक शक्तिशाली है। भारत में लिखित संविधान है, जिसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है और इसकी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है। यद्यपि संविधान में संघ (Federal) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु इसके लिए 'यूनियन' (Union) शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था का निर्माण अमेरिकी संघीय व्यवस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि कनाडाई प्रतिरुप के आधार पर किया गया है। संविधान में केंद्रीयकरण के **निम्नलिखित उदाहरण हैं** -

भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां

भारत में संघ द्वारा बिना राज्यों की सहमति के नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुद्दों पर संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है।

- **अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) -** भारतीय संविधान में तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई हैं, वहीं अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं।
- **वित्तीय निर्भरता** - संघ सरकार को राजस्व के ज्यादा स्रोत प्राप्त हैं तथा संघ सरकार के द्वारा राज्यों को वित्तीय रुप में अनुदान भी दिया जाता है। अतः वित्तीय रुप में राज्य, संघ सरकार के ऊपर निर्भर प्रतीत होते हैं।
- **एकल नागरिकता** - अमेरिकी व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक केंद्र की तथा दूसरी राज्यों की नागरिकता प्राप्त हैं, परंतु भारत में सभी नागरिकों को केवल एक नागरिकता (भारतीय नागरिकता) प्राप्त है।

- **एकीकृत न्यायपालिका** - भारत में न्यायपालिका का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन नहीं किया गया है। अत: केंद्रीय विधि की सुनवाई उच्च न्यायालय में संभव है, जबकि उच्चतम न्यायालय में राज्यों की विधि का परीक्षण किया जा सकता है। अत: भारत में उच्च न्यायालय राज्यों में स्थित होते हैं।
- **अखिल भारतीय सेवा** - भारतीय संघीय व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। ये सेवक संघ सरकार के नियंत्रण में होते हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों के अंतर्गत् नियुक्त किया जाता है। इनके माध्यम से संघ सरकार का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
- **एकीकृत लेखा व्यवस्था (Integrated Audit System) -** भारत में एकीकृत लेखा व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही लेखा व्यवस्था है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह संघ एवं राज्यों दोनों का लेखा परीक्षण करता है।
- **आपातकाल में संघ की शक्तियों में वृद्धि** - भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। ये परिस्थितियां तब आती हैं, जब देश पर गंभीर संकट (युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह) होता है, तो ऐसे समय में संघ, राज्य सूची के विषयों पर भी विधि-निर्माण कर सकता है तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन भी समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों के कारण आलोचकों के द्वारा भारतीय संघ को 'अर्द्ध-संघात्मक' कहा गया है।

केंद्र एवं राज्य संबंध
(Centre-State Relations)

भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों का आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम में तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया था। इस अधिनियम में संघ सूची में संघ सरकार को, राज्य सूची में प्रांतीय सरकारों को तथा समवर्ती सूची में दोनों (संघ एवं राज्य सरकारें) सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था। अवशिष्ट विषयों पर गवर्नर जनरल का अधिकार था, जबकि भारतीय संविधान में इन्हीं प्रावधानों में थोड़ा-बहुत फेरबदल करके अपनाया गया है।

शक्तियों का भौगोलिक विभाजन

संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का भौगोलिक विभाजन किया गया है। जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित विधि समूचे देश/भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी। जबकि राज्य विधान सभाओं के द्वारा निर्मित विधि केवल उस राज्य विशेष के लिए लागू होगी। भारतीय संसद विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण कर सकती हैं, जिसे सामान्यत: क्षेत्रातीत शक्ति (Extra Territorial) भी कहा जाता है, (अनुच्छेद-245)।

शक्तियों का प्रकार्यात्मक विभाजन (Functional Division of Powers)

संविधान के अनुच्छेद-246 में यह उल्लिखित है कि संघ सरकार के द्वारा संघ सूची के विषयों पर संसद विधि का निर्माण करेगी एवं राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभाओं के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा तथा समवर्ती सूची पर संसद एवं राज्य विधान सभाओं दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिनमें **तीनों लिस्टों का उल्लेख किया गया है** -

1. संघीय सूची (Union List)

संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के **97 सूची** (Entry) का उल्लेख है और एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं, जिसमें रक्षा, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, शांति एवं युद्ध, नागरिकता, रेलवे, जहाज, परिवहन, वायु यातायात, डॉक एवं तार, संचार, मुद्रा, विदेश व्यापार, अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था इत्यादि विषय सम्मिलित हैं।

राज्य सूची (State List)

इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है तथा इसमें स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित होते हैं। राज्य सूची में **66 सूचियां** उल्लिखित हैं, जिसमें अनेक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कानून व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय सरकार, जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं जल, भूमि अधिकार, जंगल, मत्स्यन, भूमि इत्यादि सम्मिलित हैं।

समवर्ती सूची (Concurrent List)

समवर्ती सूची का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा लोकनीति में लचीलापन बनाए रखना है। इस सूची में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तथा इसमें **47 सूचियों** का उल्लेख है, जिसमें अनेक विषय उल्लिखित हैं, जो केंद्र व राज्यों दोनों के लिए बराबर महत्व के हैं। समवर्ती सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं, जैसे-विवाह एवं तलाक, शिक्षा, अनुबंध, दीवानी प्रक्रिया, न्यायालय की अवमानना, दवा एवं रसायन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण, विद्युत, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज पेपर एवं स्टैम्प ड्यूटी सम्मिलित हैं।

42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा, वन्य जीव, बाट एवं माप तौल इन तीन विषयों को जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि किसी राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में हस्तांतरित करने पर संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती है, क्योंकि इस सूची पर संघ सरकार को भी विधि के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा किया है कि समवर्ती सूची पर विधि-निर्माण के पहले संघ सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना चाहिए। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि-निर्माण का प्रभाव राज्यों पर होता है। उदाहरण के लिए, संघ सरकार के द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कराने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा भी आर्थिक खर्च की लागत उठाई जा रही है।

अवशिष्ट शक्तियां

ऐसे विषय जिनका किसी भी सूची में उल्लेख न किया गया हो, **अवशिष्ट विषय** कहा जाता है। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास थे, परंतु वर्तमान में संविधान के अनुसार इस विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है।

न्यायपालिका के द्वारा सूचियों की व्याख्या

तीनों सूचियों में वर्णित विषयों में परस्पर दोहराव पाया जाता है। उदाहरण के लिए, जल राज्य सूची का विषय है, जबकि जल प्रबंधन समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए विधि-निर्माण के संबंध में संघ एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद संभव है, जिनका समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रत्येक सूची में वर्णित प्रत्येक विषय की व्यापक व्याख्या की गई है। शक्तियों के विभाजन हेतु न्यायालय ने **निम्नलिखित सिद्धांत दिया है** -

- सूचियों की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायपालिका के द्वारा विधि में उल्लिखित सारतत्व अथवा विषयवस्तु पर ध्यान दिया जाता है, न कि विधि पर उल्लिखित शीर्षक को महत्व दिया जाता है, इसे 'सारतत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) कहते हैं।
- संघ एवं राज्य सरकारों की विधि-निर्माण की शक्तियां विभाजित हैं। इसलिए कोई भी सरकार दूसरे की सूची में वर्णित विषय पर परोक्ष रुप से विधि का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करे, तो इसे 'आभासी विधायन' (Doctrine of Colourable Legislation) का सिद्धांत कहा जाता है।

भारतीय संविधान के भाग-11 में केंद्र एवं राज्य के संबंधों का उल्लेख है। इस अध्याय को 7वीं अनुसूची के साथ संयुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य संबंधों को तीन भागों में विभाजित करके **अध्ययन किया जा सकता है** -

1. विधायी संबंध।(अनुच्छेद-245 से 255)
2. प्रशासनिक संबंध। (अनुच्छेद-256 से 263)

3. वित्तीय संबंध। (अनुच्छेद-264 से 291)

1. विधायी संबंध (Legislative Relations)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-245 के अनुसार, विधायी निर्माण की शक्तियों को **तीन भागों** (संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) में विभाजित किया गया है। राज्य सूची पर राज्य सरकार को विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है, **जो निम्नलिखित हैं** -

(i) राष्ट्रीय हित के आधार

अनुच्छेद-249 के अनुसार, राज्य सभा को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संघ सरकार (संसद) को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संसद के द्वारा समूचे भारतीय भू-भाग अथवा भारत के किसी एक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों की अनुमति से राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने हेतु संसद को अधिकार दे सकती है। इस कानून की अवधि एक वर्ष होगी। इसे एक वर्ष के लिए पुनः संसदीय प्रस्ताव के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो भी इसका प्रभाव 6 महीने तक बना रहेगा। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जी.एस.टी. के लिए भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा कानून देश के किसी भाग में या संपूर्ण भाग हेतु निर्मित किया जा सकता है।

(ii) राज्य विधान सभाओं के अनुरोध पर

दो या दो से अधिक राज्य विधान सभाओं के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाए तो संसद के द्वारा निर्मित विधि राज्यों पर लागू होगी। संघ के द्वारा निर्मित विधि उन्हीं राज्यों पर लागू होंगी, जिन्होंने इस संबंध में अनुरोध किया है। बाद में अन्य राज्य भी इस विधि को स्वीकार करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस विधि में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास होगा। इसमें राज्य विधान सभाएं संशोधन नहीं कर सकती, (अनुच्छेद-252)। इस प्रक्रिया के अनुसार **निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं** -

- शहरी भूमि हदबंदी एवं नियंत्रक (Urban Land Ceiling & Regulation) कानून, 1976
- वन्य जीव सुरक्षा कानून, 1972
- जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, 1974
- क्लीनिकल अवस्थापना, रजिस्ट्रेशन और नियंत्रक कानून, 2010

(iii) अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि का निर्माण

संसद के द्वारा किसी भी संधि समझौते अथवा कन्वेंशन जो अन्य राष्ट्रों के साथ संपन्न किया जाए अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं कांफ्रेंश में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संसद के द्वारा भारत के समूचे भू-भाग अथवा किसी एक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भूमि, राज्य सूची का विषय है, परंतु भारत और बांग्लादेश समझौते के परिणामस्वरुप भूमि विषय पर संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है, (अनुच्छेद-253)।

(iv) समवर्ती सूची पर संसद एवं राज्य विधान सभाओं के बीच मतभेद

समवर्ती सूची पर संसद एवं विधान सभा दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार होता है, परंतु संसद एवं राज्य विधान सभा के बीच टकराव की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्थिति में राज्य विधि को प्राथमिकता दी जा सकती है। समवर्ती सूची पर निर्मित विधि जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित विधि को आरक्षित किया गया हो, तथा उसे अनुमति दे दिया गया हो। परंतु बाद में संसद के द्वारा इस विधि में भी परिवर्तन किया जा सकता है, (अनुच्छेद-254)।

(v) आपातकाल में संबंध

राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के सभी विषय समवर्ती सूची जैसे हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की विधि-निर्माण की शक्ति का स्वाभाविक रुप में विस्तार हो जाता है। संसद, राज्य सूची पर विधि-निर्माण करती है, (अनुच्छेद-250)। आपातकाल के दौरान संघीय शासन प्रणाली एकात्मक रुप में कार्य करने लगती है। संघ एवं राज्यों के

बीच शक्तियों का विभाजन पूर्ण रुप से निलंबित हो जाता है, इसलिए संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों की विधान सभाएं बनी रहती हैं, परंतु शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्य विधान सभाएं भी भंग हो जाती हैं तथा शक्ति का विभाजन भी समाप्त हो जाता है।

2. प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

संघीय सूची पर प्रशासन संघ सरकार का तथा राज्य सूची पर प्रशासन राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची के विषयों पर प्रशासन का संचालन मुख्यत: राज्यों द्वारा ही किया जाता है। विधायी संबंधों की भांति प्रशासनिक संबंधों में भी संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, **जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं** -

(i) राज्यपाल की नियुक्ति

राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा होती है। अत: राज्यपाल के माध्यम से भी संघ सरकार का राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। राज्यपाल राज्य में संघ सरकार का प्रतिनिधि होता है तथा अनेक परिस्थितियों में वह संघ सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है और प्रत्येक 15 दिनों में वह संघ सरकार को रिपोर्ट भेजता है।

(ii) केंद्र द्वारा निर्देश

समुचित रुप से विधि लागू करने हेतु केंद्र, राज्यों को निर्देश दे सकता है। संघ सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण व हिंदी भाषा के प्रसार के लिए राज्यों को निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं सैन्य महत्व के संचार साधनों की देख-रेख व रखरखाव तथा रेलपथ सुरक्षा हेतु भी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए। इन निर्देशों के पालन न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, (अनुच्छेद-365)। क्योंकि निर्देशों के पालन न होने का अभिप्राय राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है।

(iii) केंद्रीय सैनिक बलों को राज्य में भेजना

7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था, राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्रीय सैनिक बलों का राज्यों में भेजना राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में गंभीर स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बल भेज सकता है और यह सुरक्षा बल केंद्र के दिशा-निर्देशों पर कार्य करेंगे। इसे 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है।

(iv) अखिल भारतीय सेवाएं

भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का भी प्रावधान है। इन सेवकों की नियुक्ति राज्यों में होती है, परंतु इन पर नियंत्रण संघ सरकार का होता है। इसलिए राज्य सरकारों पर इन सेवकों के माध्यम से संघ सरकार का नियंत्रण हो जाता है, (अनुच्छेद-312)। इन सेवाओं में अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा अयोग द्वारा किया जाता है, किंतु नियोजन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का मुख्य सचिव तथा राज्य का पुलिस महानिदेशक अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होते हैं।

3. वित्तीय संबंध (राजकोषीय संघवाद) (Financial Relations)

संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा अत्यधिक प्रभावित है। संघ सरकार की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर मूलत: संघ सरकार के करारोपण के विषय हैं, जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, जिसे राज्य अपने विकास के लिए रखते हैं, जिसमें भू-राजस्व, भूमि पर आयकर, उत्तराधिकार व संपदा शुल्क, भवनों पर कर, जीव-जंतुओं व नौकाओं पर कर, सड़क, मकानों, विज्ञापनों पर कर, मनोरंजन तथा बिजली के उपभोग एवं विकास की वस्तुओं पर कर, बिक्री कर एवं पथ कर शामिल हैं।

करारोपण के संबंध में कोई समवर्ती सूची नहीं है, जबकि कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं, परंतु भारत के संघीय व्यवस्था में अनेक कर ऐसे हैं, जो संघ एवं राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अत: भारत में करारोपण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, **जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं** -

- संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर, जो कि राज्यों द्वारा प्रयोग एवं वसूल किए जाते हैं। विनिमय पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क, औषधियों तथा सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, (अनुच्छेद-268)। 122वें संविधान संशोधन के द्वारा जी. एस. टी. का निर्माण किया गया है। इसलिए उपरोक्त सभी कर केंद्रीय जी. एस. टी. में शामिल हो जाएंगे।
- संघ द्वारा लगाए गए व वसूल किए गए कर, जो कि राज्यों को दे दिए जाते हैं, इसमें मुख्य कर कृषि, भूमि के अलावा उत्तराधिकार से संबंधित कर, कृषि से अलग संपदा शुल्क, रेलों, समुद्र व वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल व यात्रियों पर लगने वाले सीमा कर, रेल भाड़ों व माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज पर लगने वाला कर, समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय व उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर लगने वाले कर, ऐसी वस्तुओं का क्रय व विक्रय, जो अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार की वस्तु हों, (अनुच्छेद-269)। 122वें संविधान संशोधन के द्वारा अब उपरोक्त करों को एकीकृत जी. एस. टी में शामिल किया जाएगा।
- तीसरी श्रेणी में ऐसे कर आते हैं, जो संघ सरकार द्वारा लगाए व एकत्र किए जाते हैं, लेकिन उनका संघ व राज्य सरकारों के बीच वितरण कर दिया जाता है। 80वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी केंद्रीय करों का विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच किया जा रहा है, (अनुच्छेद-270)। जी. एस. टी. लागू होने के बाद आयकर एवं कॉरपोरेट टैक्स के अलावा सभी टैक्स को जी. एस. टी. में शामिल कर दिया गया है और इन सभी करों का विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच होगा।

वित्त आयोग
(Finance Commission)

संरचना

संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसलिए संघ-राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग का अत्यधिक महत्व है। संविधान के अनुच्छेद-280 के अनुसार संसदीय अधिनियम, 1951 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे, **जो इस प्रकार हैं** - अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अनुभव तथा एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होगा। इसलिए वित्त आयोग को 'एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था' कहा जाता है। एक सदस्य, जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो। एक सदस्य, जिसे सरकार के वित्तीय मामलों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव हो तथा एक सदस्य, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष या इससे पूर्व जब तक राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

कार्य

वित्त आयोग के निम्नलिखित **कार्य हैं** -

- संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जो संघ एवं राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच विभाजित होता है, (अनुच्छेद-270)।
- भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए गए अनुदान की सिफारिश करता है।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, 1992 के बाद वित्त आयोग के कार्यों में अतिरिक्त वृद्धि की गई है। इसके अनुसार, पंचायत एवं नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता राज्य की संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाए, इसलिए राज्य के संचित निधि की वृद्धि करने की सलाह दी जाती है।
- राष्ट्रपति, वित्त आयोग से भारत के सुदृढ़ वित्त के हित के लिए परामर्श लेता है, जो कि वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रत्येक वित्त आयोग में परिवर्तित हो जाता है।

15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन. के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया, इसकी सिफारिशें वर्ष-2021-22 से वर्ष-2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

राज्यों के बीच करों के विभाजन के मानक

15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। यह राशि 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 42 प्रतिशत के समान ही है। इसका कारण है जम्मू एवं कश्मीर राज्य की स्थिति में परिवर्तन के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेशों के कारण 1 प्रतिशत का समायोजन किया गया है।

राज्यों के 41 प्रतिशत हिस्से को 28 राज्यों के बीच विभाजन के लिए वित्त आयोग ने निम्नलिखित **मानक तय किए हैं** -

मानक	भार
1. जनसंख्या (2011)	15 प्रतिशत
2. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	12.5 प्रतिशत
3. आय अंतराल	45 प्रतिशत
4. राज्य क्षेत्रफल	15 प्रतिशत
5. वन और पारिस्थितिकी	10 प्रतिशत
6. कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5 प्रतिशत

वित्त आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त मानक से यह प्रतीत होता है कि वित्त आयोग द्वारा उन राज्यों को ज्यादा करों का हिस्सा प्रदान किया जाता है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा तथा आय राष्ट्रीय आय से कम है, जिन राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा है, उन्हें केंद्रीय करों का ज्यादा हिस्सा प्राप्त होगा। अत: उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीया को केंद्रीय करों का अधिक हिस्सा प्राप्त होगा।

15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त नए मानक

पहली बार वित्त आयोग द्वारा वन और पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकीय प्रदेशित व कर और राजकोषीय प्रयासों के आधार को अपनाया है, जिन राज्यों ने प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतरीन प्रयास किए तथा जिन राज्यों द्वारा कर संग्रहण क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के साथ राजकोषीय संतुलन स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, उन्हें अधिक हिस्सा केंद्रीय करों में प्रदान किया जाएगा।

जनसंख्या आधार वर्ष

15वें वित्त आयोग द्वारा पहली बार जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार का भी प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने के राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया है तथा साथ ही इसके द्वारा दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध को समाप्त किया गया। 15वें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के बीच केंद्रीय करों के विभाजन के लिए एकमात्र वर्ष-2011 की जनगणना का प्रयोग किया। इसके द्वारा वर्ष-1971 की जनगणना को आधार नहीं बनाया गया।

विशेष प्रयास

15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व धारा अनुदान की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त राज्यों को क्षेत्र विशेष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधार, ग्राम सड़क इत्यादि प्रयासों के लिए अनुदान प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में नगरपालिकाओं व स्थानीय सरकारी निकायों के लिए भी अनुदान को शामिल किया है।

संघ सरकार की प्राथमिकता

1. राज्यों को दिया गया अनुदान

अनुच्छेद-273 में उन राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान है, जिसमें असम, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जबकि अनुच्छेद-275 में उस अनुदान की व्यवस्था है, जो असम के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए या जनजातीय कल्याण के संबंध में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-273 व 275 के प्रावधानों के लिए अनुदान की अनुशंसा तथा सिफारिश अनुच्छेद-280 में वर्णित वित्त आयोग करता है, जो कि एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद-282 के अंतर्गत् संघ सरकार राज्यों को अनुदान वर्तमान में नीति आयोग की अनुशंसा पर देती है। यह अनुदान लोक प्रयोजन हेतु दिया जाता है, जिसके संदर्भ में संसद विधि नहीं बना सकती।

2. उधार लेने की शक्ति

भारतीय संविधान में उधार अथवा कर्ज लेने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें, भारत से बाहर उधार नहीं ले सकतीं। यह अधिकार केवल संघ सरकार को है, (अनुच्छेद-292)। यदि राज्य सरकार का पिछला ऋण बकाया है, तो नए ऋण के लिए भारत सरकार, राज्यों के ऋण पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए भारत सरकार उधार दे सकेगी या राज्य द्वारा लिए गए उधार के संदर्भ में गारंटी दे सकेगी। राज्यों को ऋण दिया जा सकता है, लेकिन राज्य का ऋण यदि बकाया है तो भारत सरकार राज्य को ऋण प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा सकती है, (अनुच्छेद-293)। राज्यों के द्वारा बिक्री कर आरोपित करने पर प्रतिबंध अर्थात् वित्तीय विषयों में संघ सरकार को संविधान में प्राथमिकता दी गई है, **जो इस प्रकार हैं**-

- अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में राज्य बिक्री कर आरोपित नहीं कर सकते।
- वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर भी राज्य द्वारा बिक्री कर का आरोपण नहीं किया जा सकता।
- कुछ वस्तुओं को संसद ने अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया है, जिन पर राज्य बिक्री कर नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, चीनी, तंबाकू, कपास एवं सिल्क तथा ऊनी सामान को विशेष महत्व दिया गया है।
- बिजली का विक्रय भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में बिजली के विक्रय पर **राज्य सरकारों द्वारा करारोपण नहीं होगा** -
  - यदि बिजली की खरीदारी भारत सरकार द्वारा रेलवे के संचालन के लिए हो रही है।
  - यदि बिजली का विक्रय रेल कारखानों के प्रयोग के लिए हो रहा है।

3. आपातकाल के दौरान संबंध

आपातकाल में केंद्र सरकार एवं राज्यों के **वित्तीय संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं** -

- यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन निलंबित हो जाता है। अत: उन करों को संघ पूर्णतया अपने पास रख सकता है।
- आपातकाल में संघ द्वारा दिए जा रहे अनुदान भी स्थगित किए जा सकते हैं। अत: राज्यों के पास केवल राज्य के कर ही बचे रहेंगे।
- कुछ वित्तीय सिद्धांतों के पालन करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जा सकता है, (अनुच्छेद-360)।
- राज्य सरकार में सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती भी की जा सकती है, इसमें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं।
- राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित धन व वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

संघ-राज्य वित्तीय संबंधों में राज्यों की स्थिति

राज्यों के पास वित्तीय स्रोत की कमी है, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन जैसे कल्याणकारी कार्य राज्यों को सौंपे गए हैं। राज्यों के करों के विषय गौंण हैं तथा इनमें लचीलेपन का अभाव है। राज्यों के करों के स्रोत राज्यों के

करों के अलावा अन्य कर के स्रोत इस प्रकार हैं-संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर, जो कि राज्यों द्वारा प्रयोग एवं राज्यों द्वारा वसूल किए जाते हैं। विनिमय पत्रों पर लगने वाले स्टांप शुल्क, औषधियों तथा सौंदर्य प्रसाधनों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क। संघ द्वारा लगाए गए व एकत्र किए गए कर, जो कि राज्यों को दे दिए जाते हैं-इसमें मुख्य कर कृषि, भूमि के अलावा उत्तराधिकार से संबंधित कर, कृषि से अलग संपदा शुल्क, रेल, समुद्र व वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल व यात्रियों पर लगने वाले सीमा कर, रेलभाड़ों व मालभाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज पर लगने वाला कर, समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय व उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर लगने वाले कर, ऐसी वस्तुओं का क्रय व विक्रय, जो अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार की वस्तु हों, जिन्हें संघ सरकार द्वारा लगाए व एकत्र किए जाते हैं, लेकिन उनका संघ व राज्य सरकारों में वितरण कर दिया जाता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से भी राज्यों को वित्त प्राप्त होता है। खानों पर संघ सरकार का नियंत्रण है तथा राज्यों को केवल रॉयल्टी प्राप्त होती है। संघ सरकार द्वारा गठित नए वेतन आयोग से जब संघ के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में वृद्धि होती है, तो इससे राज्य सरकारों पर वेतन व भत्तों को बढ़ाने का दबाव होता है। इसलिए राज्यों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता की मांग की जाती है और राज्य वित्तीय रुप में संघ सरकार पर निर्भर हैं। इसलिए राज्यों को संविधान से प्राप्त विधायी एवं कार्यपालिकीय शक्तियों का महत्व कम हो जाता है। इसीलिए राज्यों के द्वारा जी. एस. टी. का भी विरोध किया जा रहा है।

उदारीकरण के युग में संघ-राज्य संबंध

उदारीकरण के युग में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संकेतात्मक नियोजन अपनाया गया, जिसमें निजीकरण एवं उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसलिए राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया। अब राज्य की भूमिका नियंत्रण की बजाए, निजी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हो गई है। राज्य के द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों को निजी क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु सौंपा गया तथा राज्य की भूमिका सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रभावी हुई। उदारीकरण के युग में योजना आयोग की परिवर्तित भूमिका के कारण संघ एवं राज्यों के मध्य योजना आयोग की भूमिका को लेकर होने वाले विवाद समाप्त हो गए और राजकोषीय प्रबंध के मुद्दे को लेकर संघ एवं राज्य सरकारों के बीच आपस में सहयोग होने लगे।

वर्ष-1990 के उपरांत अधिकांश राज्यों के राजकोषीय प्रबंध अत्यधिक खराब थे। राज्य सूची के विषय जैसे-बिजली, सिंचाई एवं परिवहन में सुधारों की सख्त आवश्यकता थी। इसके लिए संघ एवं राज्यों के बीच आपस में सहयोग भी हुए। वित्त आयोग के द्वारा बेहतर राजकोषीय प्रबंध के आधार पर भी राज्यों को सहायता प्रदान की गई और राज्यों की राजनीति में विकास का मुद्दा प्राथमिक होने लगा। उदारीकरण के इस युग में भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना राज्यों का दायित्व है और उन्हीं राज्यों में ज्यादा निवेश आकर्षित होंगे, जहां बेहतर आधारभूत संरचनाएं हैं। इसलिए उदारीकरण के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात जैसे राज्यों ने उदारीकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त किया। जबकि दूसरी ओर भारत के सबसे पिछड़े और विशाल राज्य जैसे-उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान के क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। इसलिए ये राज्य आर्थिक विकास के दौड़ में पिछड़ते चले गए।

परिणामस्वरुप उदारीकरण के बाद भारत के अमीर व गरीब राज्यों के मध्य खांई बढ़ रही है। यद्यपि वित्त आयोग के द्वारा अभी भी भू-भाग व जनसंख्या के आधार पर लगभग 50 प्रतिशत पैसों का आवंटन होता है, परंतु यह आवंटन पिछड़े राज्यों की स्थिति ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यद्यपि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विकास के मुद्दे पर प्रभावी बल प्रदान किया है और कुछ पिछड़े राज्य विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, जैसी स्थिति उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की है। क्योंकि इन राज्यों को संघ सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान व 10 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई थीं, जिससे क्षेत्रीय दल संघ सरकार से अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कई क्षेत्रीय दलों ने विकास की राजनीति को प्राथमिकता भी प्रदान की है। इसलिए उदारीकरण के युग में एक ओर भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए नया अवसर है कि वे आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें, परंतु बढ़ती क्षेत्रीय विषमता भी एक बड़ी चुनौती है।

.....